

श्रीमान	लेख	ब्राधिव	गरी	(वसूल	ती)
राजस्थ	ान र	आवार	प्तन ग	मण्डल	
वृत्त-प्र	थम,	जय	पुर		

	4 0	
कार्यालय उपयोग हेतु	आय वर्ग :	
आवेदन कमांक :		

विषय :- माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2019-20 में की गयी घोषणा संख्या 222 के अन्तर्गत उक्त कम में राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2001 से पूर्व एंव दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आवंटित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एंव मध्यम आर्य वर्ग-(अ) के आवासों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराई जाने हेतु ब्याज व शास्ति में शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) छूट एवं मध्यम आय वर्ग-(ब), उच्च आय वर्ग के आवासों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एंव शास्ती में 50

प्रतिशत की छूट योजना के अन्तर्गत समस्त बकाया राशि की जानकारी हेतु आवेदन पत्र। सन्दर्भ :— राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.3(212)नविवि 3/2011 पार्ट/जयपुर दिनांक 12.05.2021 एंव वित्तीय सलाहकार के कार्यालय आदेश कमांक वसूली/2021—22/71/623 दिनांक 17.05.2021

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एंव मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के आवासों में राशि जमा नहीं करवायी जाने पर देय ब्याज में विशेष छूट योजना का लाभ प्रदान करते हुये समस्त बकाया (मासिक किश्त) राशि की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुरोध है कि मैं आज तक की बकाया किश्तें एंव आगे की बकाया समस्त राशि छूट का लाभ लेते हुये एकमुश्त जमा कराना चाहता हूँ। कृपया मुझे जमा कराने योग्य राशि सूचित करने का कष्ट करें।

मेरे आवास से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	आवासीय योजना का नाम प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर
2.	आवास संख्या आय वर्ग क्षेत्रफल
3.	आवंटी का नाम
4.	आवंटन पत्र संख्या दिनांक
5.	वास्तविक कब्जा प्राप्त करने की तिथि
6.	आवंटी का वर्तमान पता (जिस पर मांग – पत्र भिजवाया जाना है)
7.	फोन नं./मोबाईल नं0 एंव ई-मेल आई.डी.
8.	आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न है :

(1) आवंटन पत्र/भौतिक कब्जे की प्रति, (आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें) (2) जमा का विवरण–पत्र (3) आधार कार्ड की प्रति ।

ब्याज में छूट का लाभ लेने के पश्चात् देय समस्त मांग राशि मेरे द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करा दी जायेगी यदि राशि जमा नहीं करायी जाती है तो उक्त आवास का आवंटन निरस्त करते हुये मेरी जमा समस्त राशि जब्त करने तथा आवास का भौतिक कब्जा वापिस प्राप्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा। इस बाबत् मेरे द्वारा कोई आक्षेप/विवाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

संलग्न	:-	उपरोक्तानुसा	र।
दिनांक		-	

नोट :- वांछित प्रपत्र / सूचना संलग्न नही करने पर आवासन मण्डल बकाया राशि बताने हेतु उत्तरदायी नही होगा।

आवंटी के हस्ताक्षर

श्रीमान लेखाधिकारी (वसूली) राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन कमांक :-आय वर्ग :-

विषय :- बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर लीज की ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट हेतु आवेदन पत्र। सन्दर्भ :- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि 3/2011 पार्ट/जयपर दिनांक

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि 3/2011 पार्ट/जयपुर दिनांक 12.05.2021 एंव वित्तीय सलाहकार के कार्यालय आदेश क्रमांक वसूली/2021–22/71/623 दिनांक 17.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशानुसार लीज राशि के ब्याज में छूट योजना 2021—22 के अन्तर्गत मैं योजनानुसार छूट का लाभ प्राप्त कर 31.07.2021 तक बकाया लीज राशि मय आगामी देय एकमुश्त लीज राशि जमा कराने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बकाया लीज पर देय ब्याज की छूट प्रदान करने के पश्चात् जमा कराने योग्य राशि सूचित करने का कष्ट करें।

मेरे आवास/व्याव.भूखण्ड/संस्था	नेक भूमि से	सम्बन्धित	विवरण निम्न	प्रकार है	} :-
-------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------------

١.	आवासीय योजना का नाम प्रताप नगर, सांगानेर,शहर का नाम जयपुर
2.	आवास / व्याव भूखण्ड / संस्थानिक संख्या आय वर्ग आय वर्ग
3.	आवंटी का नाम
1.	आवंटन पत्र संख्या दिनांक कब्जा प्राप्त करने की दिनांक
5.	आवंटी का वर्तमान पता
	(जिस पर मांग – पत्र मिजवाया जाना है)
5.	दूरभाष / मोबाईल नं0 ई-मेल आई.डी.
7. (4) эт	आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न है :-
	ावंटन पत्र/भौतिक कब्जे की प्रति,(आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।) (2) जमा लीज राशि वरण–पत्र (3) चालानों की प्रमाणित प्रतियाँ (4) यदि अदेय प्रमाण पत्र/नियमतिकरण पत्र
नारी ह	है तो संग्रापित पति।

जारा ह ता सत्यापित प्रति। मैं दिनांक 31.07.2021 तक बकाया राशि जमा कराने के लिये तैयार हूँ।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार।

दिनांक

नोट :- <u>वांछित प्रपत्र / सूचना संलग्न नहीं करने पर आवासन मण्डल बकाया लीज राशि बताने</u> हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय.

आवंटी के हस्ताक्षर



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर

0 9 8 7	0 9 8 7	9 8 7	9 8 7	8 7	7	6	5	4	3	2	1	1 2	चालान बुक सं.	8			V
												3	ह सं. जमा की दिनांक	4		योजना	आवंटी का नाम
		100										4	किश्त				्राम
											•	5	पेनेल्टी/ ब्याज				
												6	लीज				
												7	सेवा कर जी.एस.टी.	आवंटी द्वारा भरा जायेगा			
	1											8	कुल योग	न्नायेगा ्		रहर	मकान नं
												9	बैंक का नाम मय ब्रांच का नाम/ काउन्टर नं.		प्रथम मार्	वास्तविक	आवन्टन
												10	रोकड़ बही/बेंक विवरण सं.		प्रथम मासिक किश्त देय दिनांक	वास्तविक कब्जा दिनांक	आवन्टन पत्र संख्या
	- 2										•	.11	रोकड़ बही/बेंक विवरण जमा कराने की दिनांक सं.	कार्यालय उपयोग हेतु	र्गांक		दिनांक
						 ŀ				(4.)		12	जमा राशि रुपये	ोग हेतु		4	
		-						2	G	10		13	सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर				

हस्ताक्षर आवन्टी

कृपया पृष्ठ उलटिये

				m	आवंटा द्वारा भरा जायेगा	नायेगा			कार्यालय उपयोग हेतु	ग हेतु	
चालान बुक सं.	बैक/काउन्दर में	PROM	पेनेल्टी/	T.	सेवा कर	कल योग	का नाम/	रोकड़ बही/बैंक विवरण	जमा कराने की दिनांक	जमा राशि रुपये	सत्यापन कर्ता
		ואסבנו	ब्याज	i cilo	जी.एस.टी.	300	काउन्दर नं.	·ж·			क हस्ताक्षर
2	3	4	5	9	7	8	6	10	11 1600	12	13
-											
				51.16	MIN IN A						
				P 10							
									1.		
						E-					
				631							